**न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ०नि०) अधिनियम, जौनपुर।**

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–115/2026
(पंजीकरण सं०–606/2026)
1–सूरज उर्फ विशाल राजभर पुत्र बमभोले राजभर
2–आशीष राजभर पुत्र रामलाल राजभर
निवासीगण ग्राम–लोकापट्टी, थाना–चंदवक, जिला–जौनपुर।

**बनाम**

उ०प्र० राज्य।
मु०अ०सं०–148/2025
धारा–115(2), 352, 351(2) बी०एन०एस० व धारा 3 (2) (V क) एस०सी० /एस०टी० एक्ट।
थाना–चंदवक, जिला–जौनपुर।

**दिनांक–16.03.2026**

अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांकित 11.03.2026 के अनुक्रम में आज न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

अभियुक्तगण की ओर से उपरोक्त प्रकरण में जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ। जमानत प्रार्थना–पत्र इन आधारों पर दाखिल किया गया है कि आवेदकगण को परेशान करने की नीयत से रंजिशन नामजद अभियुक्त बनाया गया है। अभियोजन पत्र के कागजात का अवलोकन से आवेदकगण के विरूद्ध उक्त धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है, और न ही आवेदकगण उक्त धाराओं का कोई अपराध ही किये हैं। वे निर्दोष हैं। आवेदकगण जमानत देने को तैयार है। जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गयी है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा सतीश कुमार ने थाने पर लिखित तहरीर इस आशय की दी कि घटना दिनांक 22.05.2025 को समय करीब 10 बजे रात्रि को वह निमंत्रण में शिवलाल के घर गया था। उसी दौरान अपनी मोबाइल से वह अपनी फोटो खींच रहा था कि गाँव के लड़के विवेक राजभर, विशाल उर्फ सूरज, रोहित व आशीष पुरानी रंजिश को लेकर उपरोक्त लोगों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया, उसने मना किया कि मुझे चमार–सियार क्यों कह रहे हो, इतने में विपक्षी गाली–गलौज देते हुए मारने–पीटने लगे, जिससे उसको चोटें आई और मारने–पीटने के बाद उसको जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये और कहे कि साले चमार तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वादी मुकदमा की उक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना में अभियुक्तगण सूरज उर्फ विशाल राजभर एवं तीन अन्य के विरुद्ध मु०अ०सं० 148/2025, अंतर्गत धारा 115 (2), 352, 351(2) बी०एन०एस० एवं धारा 3 (2) (क) एस०सी० / एस०टी० एक्ट का अभियोग दर्ज किया गया। बाद विवेचना अभियुक्तगण के विरुद्ध इन्हीं दाण्डिक धाराओं में आरोप–पत्र प्रेषित किया गया।

अभियोजन पक्ष को वादी मुकदमा को सूचना देने एवं अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास हेतु समय प्रदान किया गया है। वादी मुकदमा को तामीला प्राप्त है, परन्तु वादी मुकदमा अनुपस्थित है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान विशेष लोक अभियोजक के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि वे निर्दोष हैं, उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गई है

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कहा गया कि अभियुक्तगण द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा को मारपीट कर उपहति किये जाने, गाली–गलौज, जान से मारने की धमकी दिये जाने व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

Digitally signed by RANJEET KUMAR
Date: 2026.03.16 16:29:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Jaunpur

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के साथ मारपीट करते हुए गाली गलौज दिया जाना, जान से मारने की धमकी दिया जाना तथा जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया जाना कहा गया है। मामले की विवेचना सम्पादित की जा चुकी है और आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। दौरान विवेचना अभियुक्तगण को गिरफ्तार नहीं किया गया है और अभियुक्तगण पर धारा 35 (3) बी०एन०एस०एस० की नोटिस तामील कराई गई है। अभियोजन का ऐसा कोई कथन नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा विवेचना में सहयोग न किये गये हो। अभियुक्तगण आज की तिथि तक अन्तरिम जमानत पर था। थाने से आख्या प्राप्त है। थाना आख्यानुसार अभियुक्तगण का उक्त अभियोग के अतिरिक्त अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध अधिकतम 07 वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय है। अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्तगण का जमानत का आधार पर्याप्त है। जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

## आदेश

अभियुक्तगण सूरज उर्फ विशाल राजभर एवं आशीष राजभर द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मु०–25,000/–रूपये का स्वबंधपत्र व समान धनराशि का एक–एक विश्वसनीय प्रतिभू दाखिल करने पर उनको निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है–

1– आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण में सहयोग करेंगे।

2– आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से साक्ष्य/साक्षीगण को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे।

3– आवेदकगण/अभियुक्तगण जमानत के दौरान अन्य किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होंगे।

**(रणजीत कुमार)**
विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, जौनपुर।
जे०ओ० कोड– यू०पी० 6509